समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)

28/7/14

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 26-07-2014 को ग्वालपाड़ा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26-07-2014 को 11:45 बजे पूर्वा0 में ग्वालपाड़ा प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के समय प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी एक ही कार्यालय वेश्म में उपस्थित थे एवं दोनों पदाधिकारियों के लिए एक टेबुल पर दो कुर्सियां लगी हुयी थी। पृच्छा किये जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा ने बताया कि अंचलाधिकारी एवं वे एक ही कमरे को अपना कार्यालय वेश्म बनाये हुए हैं, जहाँ एक ही टेबुल पर विकास कार्यो का निष्पादन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं राजस्व कार्यो का निष्पादन अंचलाधिकारी करते हैं, जबकि यह भवन सिंचाई विभाग का है। इसी क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा द्वारा जानकारी दी गयी कि इसी परिसर में मनरेगा भवन बनकर तैयार है, परन्तु अभी भी मनरेगा कार्यालय प्रखंड परिसर में अवस्थित सिंचाई भवन के एक कमरे में चल रहा है। इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा से पृच्छा किये जाने पर उन्होंने बताया कि मनरेगा भवन में फिनिशिंग का कार्य मात्र अवशेष है। निदेश दिया गया कि अविलंब फिनिशिंग का कार्य नियमानुसार पूर्ण कराकर नवनिर्मित मनरेगा भवन में ही मनरेगा संबंधी कार्यो का निष्पादन करें।

वर्णित स्थिति में एक ही कार्यालय वेश्म में राजस्व /विकास कार्यो के त्वरित निष्पादन पर प्रतिकुल असर पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज जो औचक जाँच के समय उपस्थित थे, को निदेशित किया गया कि वे अपने देखरेख में अंचलाधिकारी के कार्यालय वेश्म को नवनिर्मित ई0-किसान भवन, ग्वालपाड़ा, जो बनकर तैयार है में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्थापित कराना सुनिश्चित करें।

(1) स्थानान्तरित कर्मियों के योगदान :-

औचक निरीक्षण के क्रम में अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा द्वारा जानकारी दी गयी कि जिलाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 482-2/स्था0 दिनांक 28-06-2014 द्वारा प्रसाशनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित में श्री मुकेश कुमार गुप्ता उच्च वर्गीय लिपिक का स्थानान्तरण जिला भू-अर्जन शाखा से अंचल कार्यालय पुरैनी तथा पुनः वेतन भुगतान की कठिनाईयों को देखते हुए उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश ज्ञापांक 546-2/स्था0 दिनांक 12-07-2014 द्वारा श्री मुकेश कुमार गुप्ता उच्च वर्गीय लिपिक का स्थानान्तरण अंचल कार्यालय, पुरैनी से अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा किया गया था, जो तत्कालिक प्रभाव से लागू था। उल्लेखनीय है कि श्री गुप्ता द्वारा अंचल कार्यालय, पुरैनी में दिनांक 05-07-2014 को योगदान किया गया है, जबकि संशोधित आदेश दिनांक 12-07-2014 को निर्गत होने के पश्चात् ग्वालपाड़ा अंचल में लगभग 20

दिनों के बाद अर्थात् दिनांक 25-07-2014 को योगदान किया गया। इससे स्पष्ट है कि श्री गुप्ता द्वारा स्वैच्छिक रूप से 20 दिनों के बाद अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा में योगदान देना उनकी स्वच्छेचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है।

इसी प्रकार श्री वास्ता वास्की चौसा से हस्तांतरित होकर ग्वालपाड़ा अंचल में योगदान करने के पश्चात् लगभग एक सप्ताह तक चौसा में ही रहकर कार्य निपटारा में लगे हुए थे, जिन्हें पुनः मोबाईल से सम्पर्क कर बुलाया गया तथा श्री अरविन्द कुमार शर्मा दिनांक 07-07-2014 को अंचल कार्यालय में योगदान करने के पश्चात् उसी दिन से गायब हैं, जिनका कोई सम्पर्क सूत्र भी अंचल कार्य में नहीं है।

अतएव जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त तीनों कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन- अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा)

(2) मधुराम उच्च विद्यालय, ग्वालपाड़ा की जमीन का सत्यापन :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी के कार्यालय वेश्म के पीछे में अवस्थित खेती योग्य जमीन के संबंध में पृच्छा किये जाने पर अंचलाधिकारी ने बताया कि उक्त भूमि मधुराम उच्च विद्यालय, ग्वालपाड़ा की है। अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे राजस्व अभिलेख के आलोक में उक्त जमीन का सत्यापन कर प्रतिवेदन दें कि उसके बंदोवस्ती विद्यालय प्रबंधन द्वारा कब-कब कितनी राशि में की गयी है तथा बंदोबस्ती से प्राप्त राशि किस मद में जमा किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को भी निदेशित किया गया कि वे तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन- अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा /अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/जिला शिक्षा पदाधिकारी)

(3) प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय आर0टी0पी0एस0 :-

उल्लेखनीय है कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम दिनांक 15-08-2011 से लागू है, अतएव प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय आर0टी0पी0एस0, ग्वालपाड़ा का औचक निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उसमें प्रतिनियुक्त कर्मी, तकनीकि सहायक श्री आनन्द कुमार /श्री अमरेश कुमार कार्यपालक सहायक एवं मनीकान्त दर्वे उपस्थित थे। तकनीकि सहायक द्वारा दिनांक 25-07-2014 तक उपलब्ध कराये गये आर0टी0पी0एस0 प्रतिवेदन के आधार पर स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

Offline	UID Till 31-12-2013	UID from 1st Jan, 2014 to till date	Total	Disposal	Pending	Expire
Social Welfare	1606	449	5904	5508	129	267
M.K.V.Y	1177	213	1817	1805	12	0
R.P.L.Y	56	22	89	80	5	4
Residentail	6496	4194	18344	18235	109	0
Income	4993	2645	10960	10917	43	0
Caste	3828	2892	10754	10712	42	0
Mutation	1131	848	2570	2528	42	0
L.P.C	380	202	1142	1130	12	0
Tatkal Seva Residence	0	33	33	33	0	0
Tatkal Seva Income	0	36	36	36	0	0
Tatkal Seva Caste	0	66	66	66	0	0
Total	19667	11600	51715	51050	394	271

➢ उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभी भी 394 मामलें लंबित हैं। अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा को निदेश दिया गया कि लंबित मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाए।

➢ जांच के क्रम में पाया गया कि तत्काल सेवा, जो 15-01-2014 से लागू हैं, उसके अन्तर्गत बहुत कम आवेदन यथा- आवासीय-33, आय-36 एवं जाति-66 आवेदन ही प्राप्त हुये हैं। लगता है कि तत्काल सेवा के संबंध में लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है। अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि आवेदक आवेदन देकर सरकार द्वारा दिये गये सुविधा का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर सके।

➢ उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कुल 129 मामले निष्पादन हेतु लंबित एवं 267 मामले कालबाधित हो चुके हैं। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा ने बताया कि उनके पत्रांक 461-2 दिनांक 06-07-2014 द्वारा 158, पत्रांक 487-2 दिनांक 17-07-2014 द्वारा 170 एवं पत्रांक 560-2 दिनांक 21-07-2014 द्वारा 22 अभिलेख तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत पत्रांक 531-2 दिनांक 21-07-2014 द्वारा 03 अभिलेख एवं पत्रांक 575-2 दिनांक 23-07-2014 द्वारा 04 अभिलेख स्वीकृति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को भेजा गया। अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को निदेशित किया गया कि वे नियमानुसार स्वीकृति हेतु प्राप्त अभिलेखों का निष्पादन सुनिश्चित करें तथा 267 मामले जो कालबाधित हो चुके हैं का नियमानुकूल निष्पादन सुनिश्चित करायी जाय एवं यह भी प्रतिवेदित किया जाय कि किनकी लापरवाही से उक्त मामले कालबाधित हुए।

(अनुपालन-प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा /अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज)

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 2092/गो0, मधेपुरा, दिनांक 27/07/14

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा /अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

27/07/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।